भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2239

उत्तर दिनांक 12/03/2025 को दिया गया

परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

2239. श्री ईश्वरस्वामी के.

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार के पास कुडनकुलम में, कोई पारदर्शी परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (एनडब्ल्यूएमएस) है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा संतुलित एवं पारदर्शी एनडब्ल्यूएमएस के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हां। कुडनकुलम स्थल सहित सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थलों पर सुस्थापित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। नाभिकीय बिजलीघरों में उनके प्रचालन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट निम्न और मध्यम रेडियोसक्रियता स्तर का होता है। इन अपशिष्टों को उचित तरीके से उपचारित और सांद्रित किया जाता है जिससे अपशिष्ट आयतन का निम्नीकृत किया जाता है। सांद्रित पदार्थों को सीमेंट, बिटुमेन, पॉलिमर आदि जैसे अक्रिय पदार्थों में स्थिर किया जाता है और स्थल विशेष पर स्थित विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं (सतह निपटान सुविधाओं के पास) में निगरानी के तहत भंडारित किया जाता है। उपचारित तरल अपशिष्ट और गैसों को सतत निगरानी के तहत तनुकृत करके निर्मुक्त किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्मुक्ति परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित निर्धारित सीमाओं के पर्याप्त अंदर हो। भंडारित अपशिष्टों का रेडियोसक्रियता स्तर समय के साथ कम हो जाता है और यह संयंत्र की जीवन-आयु के अंत तक बहुत ही कम स्तर का रह जाता है। एईआरबी द्वारा भी निस्सरण की निगरानी की जाती है।

(ख) उपरोक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****